दिनांक 28.09.2024
प्रेस विज्ञप्ति 35/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना कैंट

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 89 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 28.09.2024 को थाना कैंट व थाना लालपुर पाण्डेयपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर प्लेटफार्म–09 के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त विजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 89 हजार रूपये नगद, चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.08.2024 को थाना कैंट क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कैंट पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण, रूपया चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानो में लूट, चोरी आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कैंट पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कैंट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विजय निवासी पाण्डेय विहार कॉलोनी नवलपुर बसही थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

बरामदगी

1—चोरी के 89 हजार रूपये नगद।

2—चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण।

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद अलीगढ़/थाना टप्पल

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद**

दिनांक 28.09.2024 को थाना टप्पल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मालव बन्धा बम्बा रोड के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त जगवीर उर्फ गोली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना टप्पल पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना टप्पल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जगवीर उर्फ गोली निवासी ग्राम पीपली थाना टप्पल जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना लोटन

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **10 लाख 45 हजार 370 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 28.09.2024 को थाना लोटन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ककरहवा से ठोठरी बाजार जाने वाले मार्ग के पास से पुरस्कार

घोषित अभियुक्त सावन कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 10 लाख 45 हजार 370 रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना लोटन पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लोटन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सावन कुमार निवासी ग्राम मोहल्ला खरसंड थाना कल्याणपुर जनपद समस्तीपुर बिहार, हालपता ठोठरी बाजार थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी

1—10 लाख 45 हजार 370 रूपये नगद।

जनपद बहराइच/थाना कोतवाली देहात

- **07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **05 लाख 02 हजार 600 रूपये नगद**
- **चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण**
- **घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार आदि बरामद**

दिनांक 28.09.2024 को थाना कोतवाली देहात व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर त्रिमुहानी मोड़ के पास से 07 अभियुक्तों 1—आलम उर्फ कल्लू 2—कासिम 3—सिराज 4—सलमान 5—संजय पुत्र उमाशंकर 6—संजय कुमार पुत्र त्रिलोकीनाथ 7—संजय कुमार पुत्र उमाशंकर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 05 लाख 02 हजार 600 रूपये नगद, चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आलम उर्फ कल्लू निवासी भदेवा थानगांव जनपद सीतापुर।

2–कासिम निवासी शमसेरीपुरवा थाना थानगांव जनपद सीतापुर।

3–सिराज निवासी उड़हन सराय थाना खैराबाद जनपद सीतापुर।

4–सलमान निवासी शीर्षटोला कस्बा तम्बौर थाना तम्बौर जनपद सीतापुर।

5–संजय पुत्र उमाशंकर निवासी बहेटा थाना तम्बौर जनपद सीतापुर।

6–संजय कुमार पुत्र त्रिलोकीनाथ निवासी कस्बा रेउसा थाना रेउसा जनपद सीतापुर।

7–संजय कुमार पुत्र उमाशंकर निवासी कस्बा रेउसा थाना रेउसा जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–05 लाख 02 हजार 600 रूपये नगद।

2–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

3–घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार आदि।

जनपद बस्ती/थाना कलवारी

- **08 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 02 लाख 50 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **20 हजार 980 रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 03 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 28.09.2024 को थाना कलवारी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम भोयर मुर्गी फार्म के पास से अभियुक्त 1–रामगुलाब उर्फ खुशबू 2–सोनू 3–अजय 4–कन्हैया 5–रमेश 6–शिवकुमार 7–मोहम्मद सारिम उर्फ टिड्डी एवं चमनगंज चौराहा के पास से अभियुक्त 8–विनोद कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 लाख 50 हजार रूपये कीमत के

चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 20 हजार 980 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 03 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रमेश के विरूद्ध जनपद बस्ती, अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग, अभियुक्त रामगुलाब उर्फ खुशबू, अजय, सोनू, कन्हैया, शिवकुमार के विरूद्ध जनपद बस्ती के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 06–06 अभियोग एवं अभियुक्त मो0सारिम उर्फ टिड्डी के विरूद्ध जनपद बस्ती, अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कलवारी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–रामगुलाब उर्फ खुशबू निवासी ग्राम पड़रिया (रोसया बाजार) थाना घनघटा जनपद संतकबीरनगरद्य

2–सोनू निवासी ग्राम पड़रिया (बलुहवा) थाना घनघटा जनपद संतकबीरनगरद्य

3–अजय निवासी ग्राम पड़रिया (रोसया बाजार) थाना घनघटा जनपद संतकबीरनगरद्य

4–कन्हैया निवासी ग्राम नकहा थाना घनघटा जनपद संतकबीरनगरद्य

5–रमेश निवासी ग्राम औशानपुर माझा थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकरनगरद्य

6–शिवकुमार निवासी ग्राम गोपालपुर थाना दुबौलिया जनपद बस्तीद्य

7–मोहम्मद सारिम उर्फ टिड्डी निवासी ग्राम छज्जापुर थाना कोतवाली टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगरद्य

8–विनोद कुमार निवासी ग्राम ईश्वरनगर इल्फातगंज थाना इब्राहिमपुर जनपद अंबेडकरनगर।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 02 लाख 50 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–20 हजार 980 रूपये नगद।

3–02 मोबाइल फोन।

4–घटना में प्रयुक्त 03 मोटर साइकिल आदि।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना जैतीपुर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 12 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 28.09.2024 को थाना जैतीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बनखण्डी नाथ सड़क पुलिया के पास से 03 अभियुक्तों 1–वीरपाल 2–गजेन्द्र 3–महेन्द्र को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 12 हजार रूपये नगद, चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.08.2024 को थाना जैतीपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जैतीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जैतीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–वीरपाल निवासी ग्राम नगरिया कला थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।

2–गजेन्द्र निवासी ग्राम नगरिया कला थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।

3–महेन्द्र निवासी ग्राम नगरिया कला थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।

बरामदगी

1–चोरी के 12 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–63

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 28.09.2024 को थाना सेक्टर–63 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एफएनजी सर्विस रोड़ के पास से 04 अभियुक्तों 1–कुलदीप 2–अभिषेक कुमार 3–संकेत कुमार 4–अमन कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी की 07 चार पहिया वाहन बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो चोरी की चार पहिया वाहनो की क्लोनिंग कर फर्जी आरसी तैयार कर CARS–24 के माध्यम से बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–63 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कुलदीप निवासी नंगला गुलाब थाना बकेवर जनपद इटावा, वर्तमान पता चौहान कॉलोनी थाना पल्ला जनपद फरीदाबाद हरियाणा।

2–अभिषेक कुमार निवासी बथई थाना मनीगाछी जनपद दरभंगा बिहार, वर्तमान पता चौहान कॉलोनी थाना पल्ला जनपद फरीदाबाद हरियाणा।

3–संकेत कुमार निवासी ओईनी थाना दरोली जनपद सिवान बिहार, वर्तमान पता शास्त्री कॉलोनी थाना पल्ला जनपद फरीदाबाद हरियाणा।

4–अमन कुमार निवासी ग्राम जयरामपुर थाना राजमहल जनपद साहिबगंज झारखण्ड, वर्तमान पता चौहान कॉलोनी थाना पल्ला जनपद फरीदाबाद हरियाणा।

बरामदगी

1–चोरी की 07 चार पहिया वाहन।

एएनटीएफ/आपरेशनल यूनिट बरेली

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 80 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 400 ग्राम अवैध स्मैक**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 27.09.2024 को एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट बरेली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तिलहर दातागंज रोड पर, बेगुल नदी पुल थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर के पास से अभियुक्त जिशनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 80 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 400 ग्राम अवैध स्मैक, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जिशनू निवासी ग्राम बझेड़ा भगवानपुर थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1–लगभग 80 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 400 ग्राम अवैध स्मैक।

2–01 मोटर साइकिल।

जनपद बाराबंकी/थाना बड्डूपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 28 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 280 ग्राम अवैध मार्फीन बरामद**

दिनांक 28.09.2024 को थाना बड्डूपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कतुरीकला के पास से अभियुक्त बाबादीन उर्फ मो0अहमद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 28 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 280 ग्राम अवैध मार्फीन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बड्डूपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—बाबादीन उर्फ मो0अहमद निवासी सोहीपुर दीपपनाह थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 28 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 280 ग्राम अवैध मार्फीन।

————————

दिनांक 28.09.2024
प्रेस विज्ञप्ति 36/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में जीआरपी द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत 02 तस्कर गिरफ्तार विभिन्न बोर के 825 अवैध कारतूस व 02 अवैध शस्त्र बरामद

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा रेलवे स्टेशन, सर्कुलेटिंग ऐरियास, ट्रेनो में अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग आदि के सम्बन्ध में समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुपालन में **अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे** द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज **दिनांक 28.09.2024** को थाना जीआरपी बलिया व क्यू0आर0टी0 टीम द्वारा चेकिंग के दौरान प्लेटफार्म नं0–2/3 के पूर्वी छोर पर लगे बलिया साइन बोर्ड के आगे टीन शेड के नीचे बने सीमेन्ट की बेन्च के पास से 02 अभियुक्तों 1–रंजीत कुमार पुत्र गुरू प्रसाद निवासी लालापुर थाना सरपतहा जनपद जौनपुर 2–राशिद उर्फ लल्लन पुत्र शौकत शाह निवासी सुईथाकला थाना सरपतहा जनपद जौनपुर को **425 अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर, 400 अवैध जिन्दा कारतूस 32 बोर व 02 अवैध तमंचा 315 बोर** के साथ गिरफ्तार किया गया। बाद गिरफ्तारी थाना जीआरपी पर मु0अ0सं0 43/24 धारा 3/25/35 शस्त्र अधिनियम व 111 भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत करअन्य वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगणो ने पूछताछ में बताया कि शुभम सिंह पुत्र स्व0 अखिलेश सिंह निवासी जुड़ापुर थाना सरपतहा जनपद जौनपुर के कहने पर अवैध कारतूस को जनपद जौनपुर से छपरा बिहार ट्रेन के माध्यम से ले जाते थे। अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी होने से अवैध कारतूस तस्करी जैसे अपराधो में कमी आयेगी।

नाम पता अभियुक्तगण

1–रंजीत कुमार पुत्र गुरू प्रसाद निवासी लालापुर थाना सरपतहा जनपद जौनपुर।

2–राशिद उर्फ लल्लन पुत्र शौकत शाह निवासी सुईथाकला थाना सरपतहा जनपद जौनपुर।

3–**वाछिंत अभियुक्त** शुभम सिंह पुत्र स्व0 अखिलेश सिंह निवासी जुड़ापुर थाना सरपतहा जनपद जौनपुर

बरामदगी

1–425 अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर।

2–400 अवैध जिन्दा कारतूस 32 बोर।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर।

आपराधिक इतिहास –

अभियुक्त शुभम सिंह पुत्र स्व० अखिलेश सिंह निवासी जुड़ापुर, थाना सरपतहा, जनपद जौनपुरः–

01–मु०अ०सं० 42/2015 धारा 411/414/419/420/467/468/471 भादवि थाना मोतिगरपुर, सुल्तानपुर

02–मु०अ०सं० 336/2015 धारा 41/411/414/419/420/467/468/471 भादवि थाना बदलापुर, सुल्तानपुर

03–मु०अ०सं० 38/2019 धारा 307 भादवि ककरौली, मुजफ्फरनगर

04–मु०अ०सं० 39/2019 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट ककरौली, मुजफ्फरनगर

05–मु०अ०सं० 40/2019 धारा 102/41/414 भादवि ककरौली, मुजफ्फरनगर

06–मु०अ०सं० 162/2019 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर

07–मु०अ०सं० 166/2019 धारा 41/102/414 भादवि थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर

08–मु०अ०सं० 03/2022 धारा 402 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट सवेण्डी, कानपुर

09–मु०अ०सं० 555/2022 धारा 25(8) ए एक्ट व 120 बी भादवि पटपड़गंज, दिल्ली

10–मु०अ०सं० 18/2024 धारा 147/148/149/323/324/325/504/506/307/427/452सरपतहां जौनपुर

राशिद उर्फ लल्लन पुत्र शौकत शाह निवासी सुईधाकला थाना सरपतहा जनपद जौनपुरः–

01–मु०अ०सं० 49/24 धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम थाना सरपतहां, जौनपुर

अन्य अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अपराध करने का तरीका –

अभियुक्त शुभम सिंह पुत्र स्व० अखिलेश सिंह निवासी जुड़ापुर, थाना सरपतहा, जनपद जौनपुर एक अवैध शस्त्रों एवं कारतूसों का डीलर है। यह अभियुक्तगण रंजीत कुमार पुत्र गुरू प्रसाद निवासी लालापुर, थाना सरपतहा, जनपद जौनपुर व राशिद उर्फ लल्लन पुत्र शौकत शाह निवासी सुईथाकला थाना सरपतहा, जनपद जौनपुर को असलहा व कारतूस देता था जिन्हें वे ट्रेनों के माध्यम से बिहार प्रान्त ले जा करके तस्करी कर वहां पर शुभम सिंह उपरोक्त द्वारा बताये गये व्यक्ति को छपरा रेलवे स्टेशन के बाहर से दे देते थे। ये लोग साहगंज जौनपुर से बलिया के रास्ते ट्रेन से छपरा जाते थे। इनके द्वारा जनपद जौनपुर में शुभम सिंह उपरोक्त द्वारा दिये गये कारतूसों की भी सप्लाई स्थानीय स्तर पर की गयी है।

बरामदगी व गिरफ्तार करने वाले टीम के सदस्यों का विवरण–

1. थानाध्यक्ष श्री सुभाषचन्द्र थाना जीआरपी बलिया।
2. उ०नि० अमलेश कुमार यादव थाना जीआरपी बलिया।
3. हे0का0 सतीश कुमार उपाध्याय थाना जीआरपी बलिया।
4. का० इम्तियाज अली थाना जीआरपी बलिया।
5. हे0का0 माधवेश राय थाना जीआरपी बलिया।
6. हे0का0 अरविन्द यादव थाना जीआरपी बलिया।
7. का0 धर्मेन्द्र यादव थाना जीआरपी बलिया।
8. का० कैलाश यादव थाना जीआरपी बलिया।
9. का० अवधेश कुमार पटेल थाना जीआरपी बलिया।

––––––